

18-10-2024

~~नोटिस~~

पत्रावली बादीगण एवं वादी के वकील के प्रार्थना पत्र पर सिंगल से तलब की गई। प्रकरण में बादीगण व उनके आधिकारिक ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी वाजीनामा हो जाने से बादीगण उक्त वाद पत्र में आगे और कोई कार्यवाही नहीं चाहते या निवेदन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, प्रकरण में बादीगण स्वयं उक्त वाद पत्र में आगे और कोई कार्यवाही नहीं चाहते से बादीगण के वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली संसल शुमार दोहर दर्ज नंबर से कम हो।

१/१५

उपसप्य अधिकारी एदन  
सहायक क्लर्क करेड